सेवा में,

ड्यूटी ऑफिसर इन-चार्ज

……पुलिस थाना,

शहर जिला……

राज्य ....

विषय: भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी और 505 के तहत शिकायत / एफआईआर (अभियुक्त / संगठनात्मक संबद्धता का पूर्ण नाम और अभिसरण /पता)

1) भाषणों का पाठ / वितरित पत्रक आदि का विस्तृत रूप से विवरण किया जाना चाहिए, खासकर उन अंशों का जो स्पष्ट रूप से भावनाओं को अपमानित करते हैं और सांप्रदायिक वातावरण बनाते हैं.

2) वर्णित करिए कि उनके प्रकाशन / प्रसारण के बाद, बयान को अभियुक्त ने अस्वीकार नहीं किया है,

3) बताएं कि उपरोक्त विवरण शांति और भारत की एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा हैं. विशेष रूप से, आज के संवेदनशील वातावरण को ध्यान में रखते हुए, जब हमारी आबादी के वर्गों पर आक्रामकता फैल रही है. ये बयान भारतीय दंड संहिता की एस -153-ए, 153-बी, 505 (1) और (2) का उल्लंघन करते हैं. (धारा 501 (1) और (2) भी नफरत भाषण पर खण्ड हैं और इसलिए मामले को मजबूत करते है).

4) उल्लेख करें कि भारतीय दंड संहिता की धारा -153-ए में कहा गया है:

(1) जो भी-

1) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा,जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

2) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोकप्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य हो, [अथवा]

3) वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा.

5) भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख के अनुसार

(1) जो कोई लिखे गए या बोले गए शब्दों दवारा या संकेतो द्वारा या दृश्यरुपणों द्वारा या अन्यथा:-

1) ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यकति इस कारण की वे किसी धार्मिक , मूलवंशीय , भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाती या समुदाय के सदस्य है , विधि दवारा स्थापित भारत के सविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठां नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और मर्यादा की अखंडता नहीं बनाये रख

सकते , अथवा

2) यह प्रख्यान करेगा या परामर्श देगा , सलाह देगा , प्रचार करेगा , या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण कि वे किसी धार्मिक , मूलवंशीय , भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाती या समुदाय के सदस्य है , भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार नहीं दिए जाये या वंचित किया जाये , अथवा

3) किसी वर्ग के व्यक्तियों की , बाध्यता के सम्बद्ध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक , मूलवंशीय , भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाती या समुदाय के सदस्य है, कोई प्रख्यान करेगा , परामर्श देगा , अभिवाक् करेगा या आपेल करेगा या प्रकाशित करेगा , और ऐसे प्रख्यान, परामर्श ,अभिवाक् या अपीलसे ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यकतियो के बीच आसमंजस्य , अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावना उत्पन होती है या उत्पन होना संभाव्य है ,

वह कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगी , या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा

6) धारा 505 का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

[(1)] जो कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट की –

1) .....

2) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक-प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा

3) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो 6[तीन वर्ष] तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा

4) 7[(2) विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या सम्प्रवर्तित करने वाले कथन--जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अन्तर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्] को, इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा.

7) (अभ्यर्थी का पूरा नाम) के उपरोक्त बयानों के अनुसार, भारत के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक समुदाय इन बयानों से अत्यंत असुरक्षित और डरा हुआ महसूस कर रहें हैं. इसके अलावा, ऐसे बयानों से सांप्रदायिक असंतोष उत्पन्न होता है या विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत की भावनाएं उत्पन्न होती हैं. यह एक ऐसा कार्य भी है जो विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है और सार्वजनिक शांति के लिए खटा बनने की संभावना है। (ध्यान दें, आबादी के एक हिस्से को विमुख करते हुए, कि वे भारत के संविधान के प्रति सच्चे विश्वास और निष्ठा नहीं रखते हैं या भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें हिंसक कृत्यों के प्रति अरक्षित छोड़ देते हैं.

8) इसमें और विस्तृत रूप से लिखिए की कैसे आबादी के किसी विशेष सम्प्रदाय को रूढ़िबद्ध किया जाता है और उन्हें

बदनाम करने की मुहीम चलायी जाती है ताकि एक नफरत का माहौल बनाया जा सके जो उनके खिलाफ आक्रामकता और हिंसा पैदा करने के लिए अनुकूल हो.

9) भारतीयों के एक वर्ग पर इस तरह के व्यापक पैमाने पर खतरनाक और झूठे हमले, देश में कहीं भी सांप्रदायिक नरसंहार का माहौल को बनाने में योगदान दे सकते हैं, और फिर भारतीयों का एक व्यापक हिस्सा भयानक उत्पीड़न का सामना कर सकता है.

10) भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किये जाने के अनुसार, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और ये बयान (नाम आरोपित) हमारे संविधान के अस्तित्व पर हमला करता है.

11) मैं एक भारतिय नागरिक होने की हैसियत से और अपने मूलभूत कर्तव्य के तहत जो संविधान के अनुच्छेद 52 में अंकित है भारत के संविधान को बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता में यह शिकायत कर रहा हूं. अपराध का प्रभाव पूरे भारत पर होने की संभावना है और इसलिए आपके अधिकार क्षेत्र में भी आता है.

12) (अभियुक्त का नाम) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 153 बी और 505 (1) और (2) के तहत एक अपराध किया है. इसलिए, यह शिकायत एफआईआर के रूप में दर्ज होनी चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए और गिरफ्तारी और अभियोजन सहित आवश्यक कार्रवाई को तत्काल (अभियोग के नाम) के खिलाफ किया जाना चाहिए.

13) कृपया करके अधोहस्ताक्षरी को होने वाले घटनाक्रम से अवगत कराये विकास के बारे में अधिसूचित जानकारी रखें और मुझे तुरंत उन चरणों के बारे में बताएं जो आप (आरोपित का नाम) के खिलाफ लेने का प्रस्ताव देते हैं. हमने पहले ही आवश्यक प्राधिकारियों की मंजूरी के लिए आवेदन किया है लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप आवश्यक मंजूरी के लिए आदेश करें. स्वीकृति के लिए आवेदन के की प्रतियां आपके संदर्भ के लिए संलग्न हैं.

साभार,

शिकायतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर